

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कुतुब गोल्फ कोर्स

प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

एफ3 (08)/क्यूजीसी/सिविल/डीडीए/2025-26/275

दिनांक:25/07/2025

कोटेशन आमंत्रण ऑनलाइन नोटिस संख्या 02

कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य पूरा किया है, जिन्होंने तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो पूर्ण किए गए कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 60% से कम नहीं है। पिछले सात वर्षों के दौरान निविदा में डाली गई अनुमानित लागत, या एक पूर्ण कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो, सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ निविदा में रखा गया हो। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में वैध यूडीआईएन रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

अब:-कुतुब गोल्फ कोर्स का रखरखाव, डीडीए।

एस.एच.:- क्यूजीसी, डीडीए में डाइविंग रेंज में विविध सिविल मरम्मत कार्य

अनुमानित लागत: रु. 1,93,317/-

बयाना राशि: 5,000/-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	इकाई
1.	प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार, उपयोगी सामग्री का ढेर लगाना और अनुपयोगी सामग्री का 50 मीटर के दायरे में निपटान सहित, ईंटों के काम को मैनुअल/यांत्रिक तरीकों से ध्वस्त करना। (क) सीमेंट मोटार में।	2	cum
2.	प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार, स्टील बारों का ढेर लगाना और अनुपयोगी सामग्री का 50 मीटर के दायरे में निपटान सहित, आर.सी.सी. के काम को मैनुअल/यांत्रिक तरीकों से ध्वस्त करना।	2	cum
3.	प्लिंथ स्तर से ऊपर, फर्श V स्तर तक, अधिरचना में वर्ग पदनाम 7.5 की सामान्य जली हुई मिट्टी की एफ.पी.एस. (गैर-मॉड्यूलर) ईंटों के साथ आधी ईंट की चिनाई। (A) 6.13.2 सीमेंट मोटार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत)	18	sqm
4.	"मिश्रित एकल या आधी ईंट की दीवार के खुरदुरे हिस्से पर 15 मिमी सीमेंट प्लास्टर (a1:4 (1 सीमेंट: 4 महीन रेत))"	18	sqm

5.	सतह को समतल और पूरी तरह से चिकना बनाने के लिए प्लास्टर की गई सतह पर 2 मिमी मोटाई का प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी लगाना और लगाना	18	sqm
6.	आवश्यक रंग के सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ प्रीमियम ऐक्रेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट से दीवारों की फिनिशिंग (a) पुराना काम (0.83 लीटर/10 वर्ग मीटर की दर से एक या अधिक कोट लगाना)"	18	sqm
7.	"सेंट्रिंग, शटरिंग, फिनिशिंग और सुदृढीकरण की लागत को छोड़कर, निर्दिष्ट ग्रेड के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट को उपलब्ध कराना और बिछाना - प्लिंथ स्तर तक सभी कार्य: (A) 1:1.5:3 (1 सीमेंट: 1.5 मोटी रेत (ज़ोन-III) प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त: 3 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20 मिमी नाममात्र आकार प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त)"	0.50	cum
8.	स्टील सुदृढीकरण आर.सी.सी. कार्य जिसमें सीधा करना, काटना, मोड़ना, स्थिति में रखना और बांधना शामिल है, प्लिंथ स्तर तक पूरा हो गया है। Fe-500D या उससे अधिक ग्रेड के थर्मो-मैकेनिकल रूप से उपचारित बार।	30	kg
9.	"इमारत के रेखिक और वक्रिय भागों में, आवश्यक डिज़ाइन और पैटर्न में पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर का फर्श उपलब्ध कराना और बिछाना, सभी वास्तुशिल्प चित्रों के अनुसार पूर्ण। 18 मिमी मोटी पत्थर की स्लैब 20 मिमी (औसत) मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) के आधार पर बिछाई गई और सीमेंट के घोल से जोड़ी गई और मिलान वाले रंग के रंगद्रव्य के साथ मिश्रित सफेद सीमेंट के घोल से पॉइंटिंग की गई, जिसमें रंगड़ना, इलाज और पॉलिश करना आदि शामिल है। सभी निर्दिष्ट और प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित अनुसार पूरे किए गए हैं। 11.56.1 काले, चेरी/रूबी लाल या समकक्ष रंग के पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब"	4	sqm
10.	"आईएस: 2202 (भाग 1) सजावटी प्रकार, ब्लॉक के कोर के अनुरूप आईएसआई चिह्नित फ्लश डोर शटर उपलब्ध कराना और लगाना प्रथम श्रेणी की कठोर लकड़ी और सुमेलित सागौन के फ्रेम के साथ बोर्ड निर्माण, ऊर्ध्वाधर दानों या क्रॉस बैंड और शटर के दोनों किनारों पर फेस वेनीर्स के साथ 3 प्लाई वेनीरिंग। 9.20.1 35 मिमी मोटी, जिसमें आवश्यक स्क्रू के साथ IS। चिह्नित स्टेनलेस स्टील बट हिंज शामिल हैं।	2	sqm
11.	स्वीकृत ब्रांड की, 1S: 15622 (निर्माता द्वारा निर्दिष्ट मोटाई) के अनुरूप, सभी रंगों, शेड्स में, बरगंडी, बोटल ग्रीन, काले को छोड़कर, प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी भी आकार में, स्कर्टिंग, सीढ़ियों के राइज़र और डैडो में, सीमेंट मोर्टार 1:3 (1 सीमेंट: 3 मोटी रेत) की 12 मिमी मोटी परत और 3.3 किग्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से ग्रे सीमेंट स्लरी के साथ जोड़, जिसमें मिलान शेड के पिगमेंट के साथ मिश्रित सफेद सीमेंट में पॉइंटिंग शामिल है।	70	sqm
12.	"एकल सेक्शन में स्टक्चरल स्टील का काम, कनेक्टिंग प्लेट के साथ या उसके बिना, जिसमें कटिंग, होइस्टिंग, स्थिति में फिक्सिंग और प्राइमिंग स्वीकृत स्टील प्राइमर की परत पूरी हो गई है।"	80	kg
13.	खोखले ट्यूब, चैनल, प्लेट आदि से बनी स्टेनलेस स्टील (ग्रेड 304) रेलिंग प्रदान करना और लगाना, जिसमें वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग, पॉलिशिंग और कर्वेचर बनाना (जहाँ भी आवश्यक हो) और आवश्यक स्टेनलेस स्टील नट और बोल्ट के साथ उसे लगाना शामिल है, अर्थात् आवश्यक सहायक उपकरण और स्टेनलेस स्टील डैश फास्टर, स्टेनलेस स्टील बोल्ट आदि के साथ रेलिंग को फर्श के ऊपर या कमर स्लैब के किनारे, प्रभारी इंजीनियर के अनुमोदन के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था के साथ लगाना, (भुगतान के उद्देश्य से केवल स्टेनलेस स्टील के सदस्यों के वजन पर विचार किया जाएगा, जिसमें फिक्सिंग सहायक उपकरण जैसे नट, बोल्ट, फास्टर आदि शामिल नहीं हैं)।	20	kg
14.	दरवाजे की मरम्मत जिसमें नीचे से उठाना, फर्श के स्पिंग की मरम्मत, दरवाजे को फर्श के फिनिश स्तर पर लाने के लिए काटना और पीसना शामिल है, सभी दरवाजे समतल करने के बाद पूरी हो गई हैं।	6	each

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर **02.08.2025** (03:00 अपराह्न) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं।) (बिक्री की अंतिम तिथि) और तकनीकी बोली का उद्घाटन **04.08.2025** (3.30 अपराह्न) को होगा। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

“सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत एजेंसियों/फर्मों को ईएमडी जमा से छूट दी जाएगी। यह छूट एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में बढ़ाई जाएगी। हालाँकि, ऐसी छूटों का लाभ उठाने के लिए, एजेंसियों/फर्मों द्वारा पंजीकरण का एक वैध प्रमाण पत्र ई-निविदा पोर्टल पर दिया/अपलोड किया जाएगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की वैध पंजीकरण प्रति।
2. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
3. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
4. किसी भी सरकार में समान कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू
5. डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
6. मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।

वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

i) मात्रा अनुसूची (BoQ के रूप में...xls)।

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेज़ों के संबंध में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकृत बोलीदाता/निविदाकर्ता को निम्नलिखित ई-निविदा शुल्क (जीएसटी लागू होने पर) का भुगतान करना होगा:

	<u>ठेकेदार का वर्ग</u>		<u>प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली राशि</u>
1.	श्रेणी-I	-	₹20,000 + जीएसटी
2.	श्रेणी-II	-	₹16,000 + जीएसटी
3.	श्रेणी-III	-	₹14,000 + जीएसटी
4.	श्रेणी-IV	-	₹10,000 + जीएसटी
5.	श्रेणी-V	-	₹6,000 + जीएसटी

जो बोलीदाता डीडीए के सीआरबी में पंजीकृत नहीं हैं और डीडीए निविदाओं में बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें ई-टेंडरिंग का वार्षिक शुल्क निम्नानुसार देना होगा:-

<u>कार्य की लागत:</u>	<u>ई-टेंडरिंग शुल्क</u>
(i) 15.00 लाख तक :	₹6000/- + जीएसटी
(ii) 15.00 लाख से 20.00 करोड़ तक :	₹20,000/- + जीएसटी
(iii) 20.00 करोड़ से अधिक :	₹50,000/- + जीएसटी

निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली।

नोट (1):- बोलीदाता एक यूटीआर संख्या का उपयोग केवल एक कार्य के लिए करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक ही यूटीआर संख्या का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएँगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे निविदाएँ देने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क सीआरबी के पास पहले ही जमा कर दिया गया है।

नोट (3):- निविदा खुलने तक निविदाकर्ताओं द्वारा किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से ही आवश्यक होगी।

नोट (4):- नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने की विधि और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in देखें। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित कार्यकारी अभियंता या मेसर्स एनआईसी से ईमेल cppp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर संपर्क करें या भेजें ईमेल भेजें - support-eproc@nic.in

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आरई/सचिव/क्यूजीसी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएँगी।
11. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।
12. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।

13. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
15. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
16. किसी भी व्यक्ति, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, को किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
17. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
18. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
19. यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/क्यूजीसी का पूर्ण विवेक होगा कि वह मद के कार्य को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जैसा सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति रद्द कर दे। कार्य आदेश/कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने/बयाना राशि जब्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
21. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
22. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
23. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
24. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

--sd--

रेजिडेंट इंजीनियर/क्यूजीसी/डीडीए